

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत- मोहनियाँ, मेहसी एवं दलसिंहसराय।

पटना, दिनांक- 27-3-18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु Outfall नाला निर्माण की कुल ₹700.67900 लाख (सात करोड़ सड़सठ हजार नौ सौ रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹416.93575 लाख (चार करोड़ सोलह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ पचहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के नगर निकायों में गली-नालियों के पक्कीकरण तथा जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत शहरी स्थानीय निकायों में हर घर तक गलियों के साथ कच्ची नालियों का पक्कीकरण कराया जा रहा है। परन्तु इस योजना के तहत बड़े Outfall नालों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसलिए शहरों के बड़े Outfall Drain एवं Storm Water Drainage योजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। Storm Water Drainage का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है तथा Outfall Drain का प्रस्ताव सभी नगर निकायों से मांगा गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित Outfall नाला निर्माण की योजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹700.67900 लाख (सात करोड़ सड़सठ हजार नौ सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप विभागीय राज्यादेश सं०-158 दिनांक-27-3-18 के आलोक में तत्काल कुल ₹416.93575 लाख (चार करोड़ सोलह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ पचहत्तर रु०) मात्र नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत, मोहनिया	Construction of R.C.C Drain from G.T Road to Sub divisional office mohania.	206.38500	154.78875	51.59625

2	नगर पंचायत, मेहसी	वार्ड सं०- 03 एवं 04 में जल निकासी हेतु नाला निर्माण, मेहसी ब्लॉक से बैंक चौक होते हुए मंझन छपरा एन०एच०- 28 तक एवं बस स्टैंड से बैंक चौक तक ढक्कन सहित नाला आर०सी०सी० बड़ा नाला निर्माण कार्य।	307.03100	168.51550	138.51550
3		Construction of R.C.C Drain from Mhendra Ray to Sahay Sah Thakur bari in ward no. - 1	97.24800	48.62400	48.62400
4	नगर पंचायत, दलसिंहसराय	Construction of R.C.C Drain From Sahay Sah Thakurbari to Mushari Chowk, nagar Panchayat Border Via Panchayat Samiti Bhavan in Ward no.- 1 and 5.	90.01500	45.00750	45.00750
योग			700.67900	416.93575	283.74325

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹416.93575 लाख (चार करोड़ सोलह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ पचहत्तर रु०) मात्र।

3. आवंटित कुल ₹416.93575 लाख (चार करोड़ सोलह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ पचहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर नगर पंचायत- मोहनियाँ, मेहसी एवं दलसिंहसराय होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. उक्त आवंटित राशि ₹416.93575 लाख (चार करोड़ सोलह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ पचहत्तर रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215021930102, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

ॐ

भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. Outfall नाला निर्माण की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।


(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(vi) यदि Outfall नाला निर्माण की योजना एन०एच० अथवा बाईपास के बगल में ली गयी है अथवा नालों का Outfall Point नहर/पर्ईन है तो ऐसी स्थिति में नगर निकायों द्वारा योजना के कार्यान्वयन से पूर्व संबंधित विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त किया जायेगा।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

 27-3-18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2018 159 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 27-3-18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 27-3-18

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 27/3/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु Outfall नाला निर्माण की कुल ₹700.67900 लाख (सात करोड़ सड़सठ हजार नौ सौ रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹416.93575 लाख (चार करोड़ सोलह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ पचहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के नगर निकायों में गली-नालियों के पक्कीकरण तथा जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत शहरी स्थानीय निकायों में हर घर तक गलियों के साथ कच्ची नालियों का पक्कीकरण कराया जा रहा है। परन्तु इस योजना के तहत बड़े Outfall नालों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसलिए शहरों के बड़े Outfall Drain एवं Storm Water Drainage योजना का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। Storm Water Drainage का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है तथा Outfall Drain का प्रस्ताव सभी नगर निकायों से मांगा गया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित Outfall नाला निर्माण की योजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹700.67900 लाख (सात करोड़ सड़सठ हजार नौ सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹416.93575 लाख (चार करोड़ सोलह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ पचहत्तर रु०) मात्र की स्वीकृति नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत, मोहनिया	Construction of R.C.C Drain from G.T Road to Sub divisional office mohania.	206.38500	154.78875	51.59625

2	नगर पंचायत, मेहसी	वार्ड सं०- 03 एवं 04 में जल निकासी हेतु नाला निर्माण, मेहसी ब्लॉक से बैंक चौक होते हुए मंझन छपरा एन०एच०- 28 तक एवं बस स्टैंड से बैंक चौक तक ढक्कन सहित नाला आर०सी०सी० बड़ा नाला निर्माण कार्य।	307.03100	168.51550	138.51550
3		Construction of R.C.C Drain from Mhendra Ray to Sahay Sah Thakur bari in ward no. - 1	97.24800	48.62400	48.62400
4	नगर पंचायत, दलसिंहसराय	Construction of R.C.C Drain From Sahay Sah Thakurbari to Mushari Chowk, nagar Panchayat Border Via Panchayat Samiti Bhavan in Ward no.- 1 and 5.	90.01500	45.00750	45.00750
योग			700.67900	416.93575	283.74325

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹416.93575 लाख (चार करोड़ सोलह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ पचहत्तर रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

3. स्वीकृत कुल ₹416.93575 लाख (चार करोड़ सोलह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ पचहत्तर रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर नगर पंचायत- मोहनियाँ, मेहसी एवं दलसिंहसराय होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹416.93575 लाख (चार करोड़ सोलह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ पचहत्तर रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215021930102**, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. Outfall नाला निर्माण की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-
- (i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाएगा।
 - (ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
 - (iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।
 - (iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
 - (v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।
 - (vi) यदि Outfall नाला निर्माण की योजना एन०एच० अथवा बाईपास के बगल में ली गयी है अथवा नालों का Outfall Point नहर/पईन है तो ऐसी स्थिति में नगर निकायों द्वारा योजना के कार्यान्वयन से पूर्व संबंधित विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त किया जायेगा।
10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-02/2018 के पृष्ठ सं०-2.1...../टि० पर दिनांक- 24-03-18..... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-2.1...../टि० पर दिनांक- 26-03-18..... को प्राप्त है।
12. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Handwritten Signature) 27-3-18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2018 158

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 27/3/18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेभ कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature) 27-3-18

सरकार के विशेष सचिव।